

श्री लाल बहादुर शास्त्री मु. नं. 8/21

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुकम कें में जा
31-3-2021	<p>तहसीलदार गंगापूर सिटी से जबाब दावा प्राप्त हो जाने पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी एवं लैण्ड होल्डर उपस्थित हैं। दोनों को सुना गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र 136 L.R. Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली क्रमशः क्रमांक होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दारिबेल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">सप जिलो कलेक्टर गंगापूर सिटी (स०मा०)</p>	

11



नैजीलाल पुत्र छाज्या जाति माली निवासी मालियों की चौकी (अमरगढ) तहसील
गंगापुर सिटी

—प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील गंगापुर सिटी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
उपस्थित :- श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी अप्रार्थी
निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खाता सं. 238 की आराजी हाल ख0नं0 1053 रकबा 0.58 वाके ग्राम मालियों की चौकी की खातेदारी प्रार्थी व खाते मे वर्णित अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रही है। प्रार्थी ग्राम मालियों की चौकी तहसील गंगापुर सिटी का स्थायी निवासी है तथा जाति से माली हैं परन्तु टाईपिंग की भूल से व लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रार्थी की जाति माली के स्थान पर गलत रूप से गुर्जर दर्ज कर दी गयी है एवं निवास स्थान मालियों की चौकी के स्थान पर मच्छीपुरा दर्ज कर दिया है जबकि उक्त खाते में ही प्रार्थी के भाई मंगल पुत्र छाज्या की जाति सही रूप से माली व निवास स्थान मालियों की चौकी दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे उक्त गलती केवल मात्र लिपिकीय भूल के कारण हुयी त्रुटि हैं, जिसकी न्यायहित मे दुरुस्ती की जाकर प्रार्थी की जाति माली व निवास स्थान मालियों की चौकी दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के अन्य समस्त सरकारी दस्तावेज एवं अन्य राजस्व रिकार्ड प्रार्थी की जाति व निवास स्थान के रूप मे जाति माली व निवास स्थान भी मालियों की चौकी है इसलिये उक्त रेवन्यु रिकार्ड में भी दुरुस्त की जाकर पूर्व अनुसार जाति माली व स्थान मालियों की चौकी दर्ज किया जावें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जमाबन्दी रेवन्यु रिकार्ड खाता नं0 238 की भूमि ख0नं0 1053 रकबा 0.58 है ग्राम मालियों की चौकी तहसील गंगापुर सिटी में प्रार्थी के नाम के आगे दर्ज जाति गुर्जर के स्थान पर माली एवं निवास स्थान मच्छीपुरा के स्थान पर मालियों की चौकी दर्ज करने के आदेश प्रदान करें तथा इसी अनुसार दुरुस्ती हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी सं0 2070-73 खाता संख्या 238 ग्राम मालियों की चौकी, नकल जमाबन्दी संवत 2066-2069 खाता संख्या 202 ग्राम मालियों की चौकी, नकल जमाबन्दी संवत 2070-2073 खाता संख्या 180 ग्राम मालियों की चौकी, फोटोकॉपी राशन कार्ड प्रस्तुत किये है।
प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।



उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

ग्राम अमरगढ न क संवत् 2050-2053 में खता संख्या 144 पर खत नं० 1053 रकबा 0.58 है नून जाहरी, मंगल, मोतीलाल पि० छाज्या हि० 3/4 जाति माली सा.देह व अन्य के रजिल खातेदारी में दर्ज थी। प्रार्थी मोतीलाल पुत्र छाज्या की जाति माली के स्थान पर गुर्जर एवं निवास मालियो की चौकी के स्थान पर मच्छीपुरा सहवन में दर्ज होना प्रतीत होता है। पटवारी हल्का-अमरगढ की जांच रिपोर्ट व संलग्न राशन कार्ड, पेन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र एवं आधार कार्ड आदि के अनुसार प्रार्थी का निवास स्थान मालिया की चौकी व जाति माली सही होना प्रतीत होता है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वाद पत्र में उल्लेखित भूमि ख०नं० 1053 रकबा 0.58 है ग्राम मालियो की चौकी में स्थित है। नवीन राजस्व ग्राम बनने से पूर्व ख.नं. 1053 रकबा 0.58 है० भूमि ग्राम अमरगढ जमाबंदी संवत् 2050-2053 में प्रार्थी मोतीलाल के साथ मंगल, जाहरी पि० छाज्या जाति माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड के आधार प्रार्थी की जाति माली व निवास स्थान मालियो की चौकी शुद्ध किया जाने तक आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा 80 सी०पी०सी० का दो माह पूर्व नोटिस भी नहीं दिया गया है। जबकि राजस्थान सरकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने पर 80 सी०पी०सी० का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। इसी स्तर पर निरस्त फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी को सुना गया।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की जाति गुर्जर के स्थान पर माली व निवास स्थान मच्छीपुरा के स्थान पर मालियो की चौकी दर्ज करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जाति व निवास स्थान दुरुस्ती तक स्वीकार करने में अनापत्ति प्रकट की है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत् 2027-73 खाता संख्या 180 ग्राम मालियो की चौकी में प्रार्थी भूमि ख०नं० 956 में संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी की जाति माली दर्ज है। छायाप्रति राशनकार्ड के अनुसार प्रार्थी की जाति माली व निवास स्थान मालियो की चौकी है। अप्रार्थी की जबाबदावे के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2050-53 ग्राम अमरगढ खाता संख्या 144 में प्रार्थी मोतीलाल की जाति माली दर्ज है। जबाब दावे के साथ प्रस्तुत प्रार्थी के पेनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड के अनुसार प्रार्थी की जाति माली व ग्राम अमरगढ चौकी दर्ज है। ग्राम अमरगढ चौकी का वर्तमान नाम मालियो की चौकी हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार

किया जाना उचित है।

उच्च जिला कलेक्टर
जयपुर सिटी (स०मा०)

(3)
आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी संवत् 2070-73 खाता संख्या 238 ग्राम मालियो की चौकी में दर्ज प्रविष्टि "मोतीलाल पुत्र छाज्या हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा. मच्छीपुरा खातेदार" के स्थान पर प्रविष्टि " मोतीलाल पुत्र छाज्या हिस्सा 1/4 जाति माली सा. मालियो की चौकी खातेदार " दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल क्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.3.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)